UPSH240026152017

न्यायालय अपर सिविल जज, (जू0डि0)/जे0एम0, तिलहर, शाहजहांपुर।

मूलवाद सं0–142/2017

मीरा देवी बनाम हनीफ आदि।

दिनांकः–28.07.2021

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। वादिनी को प्रतिस्थापन प्रार्थनापत्र 40क मय शपथपत्र 41ग अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 एवं आदेश 6 नियम 17 पर सुना गया तथा पत्रावली का परिशीलन किया। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है।

निस्तारण प्रतिस्थापन प्रार्थनापत्रः–40क

वादिनी द्वारा प्रतिस्थापन प्रार्थनापत्र 40क मय शपथपत्र 41ग अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 एवं आदेश 6 नियम 17 इस आशय का दिया गया है कि वादिनी के उपरोक्त वाद में प्रतिवादी सं0–1 हनीफ अली पुत्र सफीक अली की कुछ समय पहले मृत्यु हो गयी है, जिसकी जानकारी प्रतिवादी अधिवक्ता ने 05.07.2019 को दी है। निम्नलिखित कानूनी वारिसान बताये जो प्रतिस्थापित किये जाने है। ऐसी स्थिति में निम्नलिखित वारिस प्रतिस्थापित किये जाने की अनुमति अनुमति प्रदान किया जाना न्यायसंगत है।

यह कि प्रतिवादी के आगे ''मृतक'' लिखा जावे। मृतक प्रतिवादी सं0–1 हनीफ अली पुत्र सफीक अली के स्थान पर प्रतिवादी सं0–1/1 श्रीमती ताहिरा बेगम पत्नी हनीफ अली नि0ग्रा0 व परगना निगोही, तह0 तिलहर, जिला शाहजहांपुर लिखा जावे। मृतक प्रतिवादी सं0–1 हनीफ अली के स्थान पर पुत्र 1/2 अलीश अली, मृतक प्रतिवादी सं0–1 हनीफ अल के स्थान पर पुत्र 1/3 नफीस अली, मृतक प्रतिवादी सं0–1 हनीफ अली के स्थान पर पुत्र 1/4 हसीव अली निवासीगण परगना निगोही, तह0 तिलहर, जिला शाहजहांपुर लिखा जावे।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वादिनी के प्रतिस्थापन प्रार्थनापत्र 40क पर मौखिक रूप से अनापत्ति की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिस्थापन प्रार्थनापत्र 40क मय शपथपत्र 41ग अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 एवं आदेश 6 नियम 17 वादिनी द्वारा प्रतिस्थापन हेतु दिया गया है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में वाद की अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रतिवादी के वारिसान को प्रस्तुत वाद में कायम किया जाना अति आवश्यक है तथा वाद की बहुलता एवं विलम्बता को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिस्थापन प्रार्थनापत्र 40क स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

वादिनी का प्रार्थनापत्र प्रार्थनापत्र 40क मय शपथपत्र 41ग स्वीकार किया जाता है। वादी संशोधन अंदर सप्ताह करें। पत्रावली वास्ते अग्रिम सुनवाई दिनांक 27.08.2021 को पेश हो।

अपर सिविल जज(जू0डि0)/जे0एम0
तिलहर, शाहजहांपुर।